प्रेस नोट

जनपद-संतकबीरनगर

दिनाँक 17.10.2025

थाना धनघटा पुलिस द्वारा हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त को 24 घंटे के अन्दर किया गिरफ्तार, आलाकत्ल बरामद

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में ***थाना धनघटा पुलिस*** द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 17.10.2025 को हत्या की घटना में संलिप्त 01 नफर अभियुक्त नाम पता टीमल पुत्र स्व0 प्रेम निवासी ग्राम परसहर पूर्वी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को सिरसी गाँव से आगे परसहर पुर्वी गाँव को जाने वाली मार्ग से गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त एक अदद ईट आला कत्ल व तीन अदद लकड़ी बरामद किया गया।

घटना का विवरणः- दिनाँक 16.10.2025 को वादी श्री मुरली पुत्र प्रेम निवासी परसहर पूर्वी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 15.10.2025 की रात समय करीब 09.00 बजे खाना खाकर सो रहे थे कि मुझसे बड़ा भाई टिमल मेरी माता कबुतरा देवी से शराब पीने के लिए 50 रू0 मांग रहा था मेरी माँ पैसा देने से मना कि तो नाराज होकर माँ को डण्डा व ईंट से मारने लगा हम डर कर भाग गये सुबह घर जाकर देखा तो मेरी माँ कबुतरा देवी घर में मृत पड़ी थी तथा मेरी माँ के सिर से खुन निकल कर जमीन पर फैला है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना धनघटा पर मु0अ0स0 527/2025 धारा 103(1) बी0एन0एस0 पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. टीमल पुत्र स्व0 प्रेम निवासी ग्राम परसहर पूर्वी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

पूछताछ विवरणः-

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो बताया कि साहब दिनांक 15.10.2025 को मैं अपनी माँ कबूतरा देवी से शराब पीने के लिए 50 रुपया मांग रहा था। उसके द्वारा नहीं देने पर मुझे गुस्सा आ गया तथा मैने घर पर रखा एक लकडी का मजबूत डण्डा से अपनी माँ के सिर पर पीछे से तेज मार दिया जिससे व मुह के बल गिर गयी तथा लकड़ी का डण्डा तीन भाग में टूट गया पुनः उसी गुस्से में वही पास में पड़ा हुआ ईट उठाया माँ के सिरपर दो- तीन बार मार दिया जिससे माँ के सिर से काफी खून निकलने लाग तथा वही पर उसकी शरीर शान्त हो गयी उस समय मेरा भाई मुकुरी भी वही मौजूद था इस घटना को देखकर वह मौके से भाग गया। उसके बाद मैने व डण्डा जिसपर खून लगा था तीन टुकड़ो मे हो गया था। तथा खून लगा ईट को ले जाकर पकडे जाने के डर से गंगई दुबे के आम के बाग में झाड़ झखाड़ में छिपा दिया।

बरामदगी का विवरणः-

01. एक अदद ईट आला कत्ल व तीन अदद लकड़ी बरामद।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

01. प्रभारी निरीक्षक श्री जयप्रकाश दूबे, निरीक्षक अपराध श्री रामेश्वर यादव, हे0का0 रमेश मिश्र, का0 सत्यम सिंह, का0 रजनीश यादव।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,

जनपद में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना धनघटा पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 522/2025 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता आकाश पुत्र मनोज निवासी ग्राम कटार सोयम थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर को आज दिनाँक 17.10.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 14.10.2025 को थाना धनघटा पर वादी की नाबालिग पुत्री को उक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री जयप्रकाश कुशवाहा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6893 द्वारा दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल – पीआरवी 6893 द्वारा थान कोतवाली खलीलाबाद अन्तर्गत ग्राम निखरापार से कालर द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियो (01.रोहित पुत्र रामअचल निवासी ग्राम मुखलिसपुर थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर, 02. सिद्धु पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम गुलौरा थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियो द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियो को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाय गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से घायलों को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाप- हे0का0 अजीत कुमार यादव, का0 लल्लन पासवान, हो0चा0 पवन पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 304 वाहनों से 5,07,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनाँक 17.10.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 304 वाहनों से 5,07,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम) पर आत्महत्या करने के सम्बन्ध में पोस्ट करने वाली बालिका को उसके घर अविलम्व पहुँचकर बचाई गई जान

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना बखिरा पुलिस*** द्वारा आज दिनाँक 17.10.2025 को थाना बखिरा अन्तर्गत बालिका द्वारा आत्महत्या सम्बन्धी पोस्ट वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया, जिसके उपरान्त मेटा कम्पनी से अलर्ट प्राप्त होने के उपरान्त पुलिस मुख्यालय (सिग्नेचर बिल्डिंग), लखनऊ, उ0प्र0 व सोशल मीडिया सेल जनपद संतकबीरनगर द्वारा आत्महत्या के सम्बन्ध में थाना बखिरा को वीडियो, मो0नं0 व बालिका का लोकेशन उपलब्ध कराया गया था, जिसके उपरान्त प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा ***श्री राकेश कुमार सिंह*** के नेतृत्व में तत्काल कार्यवाही करते हुए उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह, हे0का0 हे0का0 अरविन्द चौहान द्वारा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या के सम्बन्ध में पोस्ट करने वाली बालिका के घर अविलम्ब पहुंचकर उसकी जान बचाया गया तथा उसकी काउंसलिंग उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा की गयी। बालिका को उसके परिजनों को सुपुर्द करते हुए मुनासिब हिदायत दी गयी। बालिका द्वारा दोबारा ऐसी हरकत न करने के सम्बन्ध में मौखिक / लिखित बयान दिया गया। परिजनों ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी व आभार जताया गया।
पुलिस टीम का विवरण उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह, हे0का0 हे0का0 अरविन्द चौहान थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप नाबालिग से दुष्कर्म व जबरन गर्भपात कराने के आरोपी को आजीवन कारावास व 10 हजार रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 17.10.2025 को ***माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/एस0पी0जे0/पाक्सो एक्ट, संतकबीरनगर*** के न्यायाधीश ***श्री कृष्ण कुमार पंचम*** द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म व जबरन गर्भपात कराने के आरोपी को आजीवन कारावास अवधि व 10 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

***घटना का संक्षिप्त विवरणः-**

दिनाँक 27.06.2023 को वादिनी द्वारा अभियुक्त वीरेन्द्र यादव पुत्र भानू यादव निवासी धौरहरा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म करने व जबरन गर्भपात कराने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर मु0अ0सं0 405/2023 धारा 376, 131 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत करवाया गया था।

***सजा विवरणः-**

मु0अ0सं0 405/2023 धारा 376, 131 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त वीरेन्द्र यादव पुत्र भानू यादव निवासी धौरहरा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को मा0 न्यायालय द्वारा धारा 376, 313 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध किया गया। अभियुक्त वीरेन्द्र यादव उपरोक्त को धारा 313 भादवि में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा तथा धारा 5/6 पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 5000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत की गयी कारावास की अवधि सजा में समायोजित की जायेगी। अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर सम्पूर्ण राशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 38 गत्तो में कुल 950 किलो अवैध पटाखों को किया गया जब्त

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के मार्गदर्शन में आगामी त्यौहार के दृष्टिगत पटाखो के अवैध भण्डारण एवं बिक्री के रोकथाम हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** के व एसओजी प्रभारी निरीक्षक ***श्री अजय कुमार सिंह*** नेतृत्व में आज दिनाँक 17.10.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा सूर्यागली गांधीनगर से, गोला बाजार टीचर कालोनी माही, अल्ट्रासाउण्ड गली के पास से 38 गत्तो में कुल 950 किलो अवैध पटाखों को जब्त करते हुए कार्यवाही की गयी।

बरामदगी का विवरण-

1. कुल 38 गत्ता विभिन्न ब्रांड के पटाखे वजन करीब 950 किलो।

पंजीकृत अभियोग

बरामदगी के आधार पर उक्त प्रकरण में थाना खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 954/2025 धारा 288 बीएनएस व 9(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 पंजीकृत किया गया है।

बरामदगी करने वाले पुलिस बल का विवरण–

1. निरीक्षक श्री अजय कुमार सिंह, हे0का0 बृजकिशोर गुप्ता, हे0का0 विवेक कुमार राय, का0 वीर बहादुर यादव, का0 सर्वेश कुमार मिश्रा, का0 विवेक कुमार मिश्रा, का0 शुभम कुमार, का0 अरुण हलवाई एसओजी संतकबीरनगर।
2. उ0नि0 श्री धर्मनाथ यादव, उ0नि0 श्री राकेश कुमार, का0 बलराम यादव, का0 आकाश कुमार यादव, का0 जनार्दन प्रसाद, हो0गा0 लालचन्द थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
3. हे0का0 रामललित सर्विलांस सेल संतकबीरनगर।